माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2017/ 178 **भोपाल, दिनांक 20.01.2017**

आदेश

विज्ञापन दिनांक 17.12.2016 के तारतम्य में अतिथि शिक्षकों लिए दिनांक 28, 29 एवं 30 दिसंबर 2016 को आयोजित साक्षात्कार में समिति की अनुशंसा के आधार पर सूची अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति निम्न शर्तों पर एक सेमेस्टर (जनवरी से जून 2017) अवधि के लिए की जाती है।

1) यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थाई है, इसके आधार पर विश्वविद्यालय में किसी भी नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
2) यह नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं परिपत्रों की परिधि में रहेगी।
3) संबंधित अतिथि शिक्षक आदेश दिनांक से एक सप्ताह के अंदर निर्धारित विभाग/ परिसर में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
4) कार्यभार ग्रहण से पूर्व मूल योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा
5) **इस सूची के अतिरिक्त आवेदकों को आवश्यकतानुसार वरीयता के आधार पर बुलाया जा सकता है, जिसकी सूचना उन्हे दी जाएगी।**

सं.	नाम	विषय	विभाग / परिसर
1	श्री रामशंकर पाल	जनसंचार	नोएडा
2	श्री धीरज कुमार	जनसंचार	नोएडा
3	श्री शेखर सुमन	जनसंचार	खंडवा
4	श्री केशव पटेल *	जनसंचार	इलेक्ट्रानिक मीडिया भोपाल
5	श्री चंदन सिंह *	जनसंचार	इलेक्ट्रानिक मीडिया भोपाल
6	श्री तरुण कु. कनाडे	कम्प्यूटर	नोएडा

* तारांकित अतिथि शिक्षकों को आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में भी कक्षाएं लेनी होगी।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

पृ.क्र./अका./2017/179 **भोपाल, दिनांक 20.01.2017**

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/ कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ परिसर प्रभारी नोएडा ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. आदेश पुस्तिका।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव